रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 13.

राजपत्र हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 36] शिमला, शनिवार, 30 अप्रैल, 1988/10 वैशाख, 1910 [संख्या 18

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	282—296
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	295—296
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	296—297
भाग 4	स्थानीय स्वायत शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	297—306
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
--	अनुपूरक	—

30 अप्रैल, 1988/10 वैशाख, 1910 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं :-

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या उद्यान च (II)-6/87, दिनांक 31 अक्तूबर, 1987.	उद्यान विभाग	हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी और वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 35 में संशोधन पहली नवम्बर, 1987 से लागू माने जाने का सहर्ष अदेश देते हैं अधिसूचना अंग्रेजी रूपांतर सहित।
संख्या एल० एस० जी०-ए० (4) 34/81-II, दिनांक 2 अप्रैल, 1988.	स्थानीय स्वशासन विभाग	अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को भोटा अधिसूचित क्षेत्र, जिला हमीरपुर के रूप में (अंग्रेजी रूपांतर सहित) घोषित करते हैं।
संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 27/82, दिनांक 8 दिसम्बर, 1987.	पंचायती राज विभाग	जिला कांगड़ा, जिला मण्डी, जिला शिमला में कुछ प्रधानों को उनकी अनियमितताओं के बारे कारण बताओ नोटिस।
संख्या पर० (नि०-II) बी० (2)-4/75-II, दिनांक 5 जनवरी, 1988.	कार्मिक विभाग	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वर्ग 3 अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1987, मन्त्रियों के वरिष्ठ विशेष सहायकों के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों का अंग्रेजी रूपांतर सहित प्रकाशन।
No. Udyan-ka (3) 4/81-II, 14th March, 1988.	Horticulture Department	Recruitment and Promotion Rules for the post of Director.

905-राजपत्र/88-30-4-88—1,283.

मूल्य : 1 रुपया।

भाग 1—वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

NOTIFICATION

Shmla, the 1st April, 1988

No. HHC/Admn.(16-22)/75-3716.—In exercise of the power vested in them under Section 139(b) of the Code of Civil Procedure and under Section 297(b) of the Code of Criminal Procedure, the Hon'able the Chief Justice and Judges are pleased to appoint Shri Jaggi Ram Sharma, Advocate, Nahan, as Oath Commissioner at Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh for a period of 2 years with immediate effect for administeries oath/affirmations on affidavits to the deponents, under the said Codes in accordance with the terms specified in para 5 of Chapter 12-B of the Punjab High Court Rules and order. Volume IV. as applied to Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Registrar.

हिमाचल प्रदेश सरकार
FOREST FARMING & CONSERVATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 2nd April,* 1988

No. Fts (B) 3-19/76.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that Shri V.M. Chopra, HPFS-II, D.F.O on deputation with Municipal Corporation, Shimla, shall stand retired from Government service with effect from 30-9-1988 (AN) on attaining the age of superannuation.

By order,
S. S. SIDHU,
Secretary.

FINANCE DEPARTMENT

(Treasuries and Accounts Organisation)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th March, 1988

No. 4-1/74. Fin (T&A).—The Governor, Himachal Pradesh, is on the recommendations of the Departmental Promotion Committee is pleased to appoint Shri Kuldip Chand, Accountant Directorate of Food and Supplies Himachal Pradesh and presently working as section Officer in tne Directorate of Himachal Pradesh State lotteries on ad hoc basis, as Section Officer (Accounts) on ragular basis in the pay scale of Rs. 800-1400 (+Rs. 50/- special pay) *w.e.f.* 21st August, 1987.

2. He will remain on probation for a period of 2 years.

B. C. GUPTA,
Deputy Secretary (*Finance*) cum-*Director.*

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिलमा–171002, 29 मार्च, 1988

सं0 एच-बी (जो) 1-2/86.—यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: ग्राम जगथान, तहसील जुब्बल, जिला शिमला म आयुर्वदिक औषधालय, जगथान के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अपक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए, जिनका इससे सम्बन्ध है, घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, रोहडू (एस0डी0एम0 रोहडू) जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि, जिसे निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अर्जन के लिए आदेश प्राप्त करें ।

3. भूमि का नक्शा-पत्र भू-अर्जन समाहर्ता, रोहड़, (एस0डी0 एम0 रोहड़) जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : जुब्बल

ग्राम/कस्बा	खसरा नम्बर	रकबा बिघा	बिस्वा
जगथान,	287	2	0
	जोड़	2	0

आदेश द्वारा;
अजय प्रसाद,
सचिव ।

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 मार्च, 1988

संख्या-भाषा-बी (4)-6/84.—राज्यपाल, हि0 प्र0, श्री धर्मपाल, आविल अनुसंधान सहायक (उर्दू) वेतनमान रु0 700–1300 अराजपत्रित तृतीय श्रेणी को हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग के परामर्श पर वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (उर्दू) वेतनमान रु0 825-1580 (राजपत्रित) द्वितीय श्रेणी के नवजयोतिक पद पर तदर्थ आधार पर छ: मास की अवधि के लिए अथवा जब तक इस को नियमित आधार पर न भर लिया जाये, जो भी पहले हो, नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

2. श्री धर्मपाल आविल को इस पद पर तदर्थ नियुक्ति के फलस्वरुप उन्हें इस पद पर वरीयता/स्थाईकरण तथा नियमित पदोन्नति के मामले में कोई अधिकार नहीं होगा ।

आदेश द्वारा;

महाराज कृष्ण काव,
वितायुक्त एवं सचिव ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

परिशिष्ट

शिमला-171002, 23 जनवरी, 1988

संख्या सिंचाई-11-1-8/85-मण्डी.—भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन ग्राम टिल्ली, तहसील सदर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदश) में पय जल योजना केहनवाल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक दिनांक 30-12-1987, द्वारा जारी अधिसूचना के दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाईन में धारा 4 पढ़ा जाए ।

आदेश द्वारा,
अत्तर सिंह,
सचिव ।

बहुद्देशीय परियोजनां एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 मार्च, 1988

सं या विद्युत-छ(5)-35/87.—यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: गांव थलोट, तहसील सदर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) में लारजी पन बिजली परियोजना की आवास कलौनी के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित हैं अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिये भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप म भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश, राज्य बिजली बोर्ड यूनिट-II मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : सदर

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	बि0	विस्वां
1	2	3	4	5
थलोट	309/2	0	16	18
	325	0	1	14
	326	0	2	2
	329	0	2	10
	340	0	10	11
	341	3	5	6
	316/2	0	0	7
	317/2	0	0	16
	318	1	19	3
	324	0	1	14
	336/2	0	10	15
	339/2	1	2	6
	342	1	6	8
	338/2	1	5	9
	332/1	0	3	17
	278/2	0	3	19
	271	0	5	19
	272/2	0	1	8
	282	0	3	5
	283/2	0	6	13
	319	0	6	16
	308/2	0	12	8
	327	0	7	1
	276	0	3	15
	277	0	0	8
	295	0	2	14
	296	0	5	6
	297	0	2	8
	299	0	17	11
	300/2	0	5	2
	323	0	4	2
	273/2	0	1	10
	273/3	0	1	14
	274	0	9	12
	275	0	11	8
	280	0	1	16
	281	0	3	6
	286	0	1	5
	287/2	0	3	11
	291/2	0	5	7
	320	0	6	12
	279/2	0	4	12
	331/2	0	1	0
	269/2	0	8	5
	270	0	1	0
	284/2	0	6	2
	285	0	1	10
	304/2	0	7	13
	329	0	12	12
	330	0	6	0
	303/2	0	5	4
	322	0	17	15
	328	0	5	10
	293/2	0	17	12
	294	0	4	16
किता ..	55	24	4	4

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव ।

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 4*th April*, 1988

No. PLG (B) 3-3/84.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that Shri K. K. Sharma, Joint Director Economics and Statistics. Himachal Pradesh, shall retire from Government Service *w.e.f.* 31-7-1988 (A.N) on attaining the age of superannuation.

By order,
M. K. KAW,
Secretary.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 1987

संख्या लो0नि0 (ख)7(1)91/87.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्थात गांव उपरेहड़ दाखली रेमहड़-भनैहड़ दाखली-रमैंहड़-सिहुन्ड दाखली-सिहुण्ड, रोड़ दाखली, उपरेहड़-दाखली-बलधर, और मंझवाड दाखली बलधर, तहसील व जिला कांगड़ा में टंग रमेहड़-सिहुन्ड-बलधर-जसौर सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है

और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन कुलैक्टर, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन, समाहर्ता हिमाचल, प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला: कांगड़ा तहसील: कांगड़ा

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5
उपरैहड़ दाखली रमैहड़ ।	119/1	0	00	16
	120/1	0	00	16
	126/1	0	00	75
	127/1	0	00	73
	128/1	0	01	75
	129/1	0	01	40
	130/1	0	00	92
	133/1	0	01	56
	134/1	0	04	10
	135/1	0	00	74
	141/1	0	00	20
	142/1	0	00	63
	143/1	0	01	26
	144	0	00	80
	145/1	0	01	97
	146/1	0	00	74
	147/1	0	00	06
	148/2	0	00	09
	828/151/1	0	00	30
	154/1	0	00	06
	156/1	0	04	48
	148/1	0	01	08
	157/2	0	03	76
	217/1	0	01	04
	227/2	0	00	24
	236/1	0	00	45
	236/2	0	00	16
	237/1	0	00	02
	268/1	0	00	34
	269/1	0	00	04
	270/1	0	01	44
	265/1	0	00	02
	266/1	0	00	45
	271	0	00	56
	272/1	0	02	24
	282	0	05	16
	270/1	0	00	29
	273/1	0	00	12
	274/1	0	00	24
	278/1	0	00	04
	279/1	0	00	06
	280/1	0	02	72
	281/1	0	02	06
	283/1	0	01	59
	293/1	0	01	93
	294/1	0	00	21
	295/1	0	00	27
	295/2	0	00	12
	324/2	0	03	30
	325/1	0	00	50
	332/1	0	00	04
	334/1	0	00	56
	334/2	0	00	10
	457/1	0	00	94
	461/1	0	00	32
	462/1	0	03	32
	460/1	0	00	40
	463/1	0	00	12
	464	0	01	06
	454/1	0	01	76
	465/1	0	02	21
	467/1	0	00	78
	468/1	0	03	61
	469	0	01	70
	470/1	0	01	02
	471	0	00	48
	472/2	0	00	46
	479/1	0	00	44
	541/1	0	00	25
	542	0	01	94
	543/1	0	00	24
	549/1	0	00	04
	581/1	0	00	06
	582/1	0	00	33
	583	0	02	62
	584/1	0	00	22
	587/1	0	00	08
	602/1	0	00	12
	605/1	0	00	74
	646/1	0	01	36
	648/1	0	00	12
	649	0	07	37
	650/1	0	02	30
	706/1	0	00	22
	713/1	0	00	12
	714/1	0	00	24
	715/1	0	00	56
	842/606/3	0	08	49
	719/1	0	02	27
	720/1	0	00	21
	721/1	0	01	44
	722/1	0	00	04
	810/728/1	0	00	50
जोड़	93	1	03	61
मनैहड़ दाखली रमैहड़	80/1/1	0	00	26
	83/1	0	00	46
	84/1	0	00	14
	86/1	0	00	13
	96/1	0	06	06
	616/97/2/1	0	00	28
	99/1	0	00	77
	100	0	04	96
	101/2	0	00	48
	102/1	0	01	87
	103/1	0	00	64
	104/1	0	00	24
	106/1	0	00	23
	107/1	0	00	15
	108/1	0	00	86
	124/1/1	0	01	58
	125/1	0	00	91
	127/1	0	00	20
	128/1	0	00	03
	151/1	0	00	36
	160/1	0	00	20
	209/1	0	00	08
	212/1	0	00	57
	213	0	03	96
	217/1	0	00	11

2	3	4	5	1
218/1	0	00	18	
219/1	0	00	14	
227/1	0	00	08	
228/1	0	00	28	
232/1	0	00	32	
233/1	0	00	02	
234/1	0	00	15	
240/1	0	01	08	
241/1	0	02	03	
245/1	0	01	58	
246/1	0	01	28	
249/1	0	00	28	
250/1	0	00	05	
255/1	0	00	04	
257/1	0	01	01	
258/1	0	00	06	
259/1	0	00	58	
259/1	0	00	12	
277/1	0	00	60	
277/2	0	00	39	
278/1	0	02	09	
279/1	0	02	12	
280/1	0	00	16	
308/1	0	00	18	
310/1	0	00	28	
310/2	0	01	14	
311/1	0	00	04	
313/1	0	00	47	
314/1	0	00	16	
319/	0	15	00	
320/1	0	01	50	
321/1	0	00	90	
322/1	0	02	94	
3231	0	00	10	
341/1	0	00	12	
342/1	0	00	02	
344/1	0	00	08	
355/1	0	00	18	
356/1	0	00	52	
358/1	0	00	22	
504/1	0	01	76	
545/1	0	01	38	
546/1	0	00	30	
558/1	0	00	09	
559/1	0	01	90	
568/1	0	00	21	
568/2	0	01	28	
568/3	0	00	04	
569/1	0	00	06	
570/1	0	00	24	
590/1	0	03	80	
591/1	0	00	39	
592/1	0	00	14	
593/1	0	00	08	
594/1	0	00	13	
595/1	0	00	12	
596/1	0	00	30	
82	0	81	24	
494/1	0	00	48	
496/2	0	04	97	
497/1	0	00	25	
499/2	0	01	92	
500/2	0	02	64	
514/2	0	02	25	
516/1	0	02	58	
520/2	0	01	71	
522/1	0	04	96	
523/2	0	00	94	
524/1	0	00	98	
536/2	0	02	10	
537/2	0	09	68	
538/1	0	00	24	
538/3	0	00	20	
545/1	0	05	99	
545/3	0	06	91	
546/1	0	00	36	
548/2	0	00	75	
548/4	0	00	38	
556/2	0	01	92	
557/2	0	01	61	
558/1	0	01	38	
559/1	0	00	02	
560/1	0	00	24	
561/1	0	00	35	
562/2	0	00	98	
563/2	0	00	37	
582/2/1	0	01	32	
582/3/1	0	01	39	
585/1	0	01	52	
563/4	0	00	76	
जोड़ कित्ता 32	0	62	15	
रौड दाखली मिटुन्ड 157/2	0	13	17	
200/1	0	04	38	
208/2	0	00	60	
231/1	0	03	20	
232/2	0	01	29	
234/2	0	11	14	
235/1	0	01	65	
कित्ता .. 7	0	35	43	
उपरैहड वलधर दाखली । 382/1	0	02	08	
383/1	0	00	75	
387/1	0	02	79	
384/2	0	00	05	
388	0	00	58	
389/1	0	01	50	
390/1	0	01	68	
391/1	0	00	70	
396/1	0	01	60	
397/1	0	01	76	
398/1	0	01	36	
404/1	0	00	33	
408/1	0	00	42	
407/1	0	00	40	
409/1	0	00	84	
413	0	00	57	
421/1	0	01	94	
418/1	0	00	14	
419/1	0	00	24	
420	0	00	30	
422/1	0	00	14	
458/1	0	01	95	
459/1	0	00	10	
463/1	0	01	45	
381/1	0	00	16	
331/1	0	00	34	
332/1	0	00	52	
333/1	0	01	80	

1	2	3	4	5
	338/1	0	00	30
	336/1	0	01	76
	335/1	0	00	45
	343/1	0	00	10
	344/1	0	02	82
	346/1	0	01	54
	353/1	0	00	62
	352/1	0	01	66
	354/1	0	02	22
	351/4	0	00	39
	350/1	0	00	60
	380/1	0	03	75
	377/1	0	00	50
कित्ता ..	41	0	43	20
उपरैहड दाखली बलधर	372/2	0	00	50
	374/2	0	02	66
	380/3	0	01	16
	304/2	0	03	15
	505/1	0	02	00
	506/2	0	05	04
	507/1	0	00	02
	517/2	0	10	12
	521/2	0	05	12
किता ..	9	0	29	77
मझवाड दाखली बलधर ।	175/2	0	01	49
	175/3	0	01	74
	258/1	0	00	63
	261/1	0	04	06
	266/2	0	02	23
	268/1	0	00	89
	269/2	0	04	33
	270/2	0	00	30
	276/1	0	02	62
	324/280/1	0	03	41
	325/280/1	0	00	46
	281/1	0	00	38
	286	0	01	38
	288/1	0	02	72
	299/1	0	04	78
	300/1	0	01	83
योग किता ..	16	0	33	25
कुल योग किता ..	280	3	89	25

शिमला-2, 7 जनवरी, 1988

संख्या: लो0 नि0 (ख) 7 (1) 62/87.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामत: गांव कुफा और माहिलियात, तहसील पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हैलीपैड से किनाड़ तक सड़क निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डीय अधिकारी (नागरिक) पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि को अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्-द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता उप-मण्डलीय अधिकारी, (नागरिक) पांगी, जिला चम्बा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला : चम्बा तहसील : पांगी

गांव	खसरा संख्या	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
1	2	3	4
कुफा	1781	0	4
किता ..	1	0	4
माहिलियात	69/1	0	5
	73/1	0	3
	74/1	0	4
	85/1	0	2
	566/86/1	0	3
	87/1	0	6
किता ..	6	1	3

यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामत:* भूमि ली जानी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग हमीरपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के लिए आदेश लेने का एतद्-द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

*लिंक रोड नकडोह के निर्माण हेतु ।

संख्या लो0नि0 (ख) 7 (1) 116/87. शिमला-171002, 1-2-88.

जिला : ऊना तहसील : अम्ब

गांव	खसरा संख्या	क्षेत्र कनाल	क्षेत्र मरला
1	2	3	4
नकडोह	2471/1	0	10
	2470/1	0	2
	2469/1	0	4
	2675/1	1	13
	2674/1	0	8
	2662/1	0	2
	2894/1	0	4
	2775/1	0	7
	2774/1	0	7
	2772/1	0	11
	3958/1	0	3
	3960/1	0	7

1	2	3	4
	3939/1	0	7
	3940/1	0	4
	3941/1	0	3
	4023/1	2	8
	किता 16	8	0

*बुरड़ धुमाड़ा सड़क (कि0 मी0 4/610 से 4/710 तक) के निर्माण हेतु।

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1) 118/87, शिमला-2, 1-2-1988

मैरा	956/1/2	0	9
	1067/1	0	2
	1068/2	0	8
	1069/3	0	16
	1070/2	0	2
	1072/2	1	16
किता ..	6	3	13

शिमला-171002, 5 फरवरी, 1988

संख्या लो0 नि0 (ख) (1) 1-83/87.—चतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव हुलु, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में ड्रंग कटिंडी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है एतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इसमें सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और अभिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : जोगिन्द्रनगर

मौजा	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0	वि0
1	2	3	4	5
हुलु	1371/1	0	0	10
	1736/1	0	2	14
	1737/1	0	1	5
	1741/1	0	0	11
	1943	0	1	6
	1953/1	0	0	16
	1954	0	3	3
	1956/1	0	0	10
	3397/1	0	1	17
किता	9	0	12	12

शिमला-171002, 9 फरवरी, 1988

संख्या: लो0 नि0 (ख) 7 (1) 78/87.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव भरियाल और चतरेरी, तहसील व जिला कांगड़ा में जाहपुर ज्वाली सड़क के निर्माण के लिए भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना हेतु यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमिको अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : कांगड़ा

गांव	खसरा संख्या	क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3
भरियाल	1/1	0 01 76
	1/2	0 01 99
	1/3	0 05 20
	41/1/1	0 00 44
	273/1	0 00 26
	273/2	0 03 46
	273/4	0 01 17
	273/3	0 06 48
	43/1	0 00 49
	41/1	0 00 16
	51/1	0 00 44
	49/1	0 00 20
	53/1	0 00 66
	56/1	0 00 54
	57	0 00 71
	57/1/1	0 00 16
	61/1	0 01 38
	40	0 09 42
	39	0 02 17
	37	0 03 33
	38	0 01 02
	36	0 67 06
	35/1	0 03 50
	223/1	0 06 04
	221/1	0 00 12
	216/1	0 00 10
	217/1	0 03 94
	220/1	0 06 32
	215/1	0 06 76
	214/1	0 00 12
	219/1	0 00 12
	200/1	0 00 66
	200/2	0 00 48
	184/1	0 00 94
	186	0 00 93
	188/1	0 00 65
	183/1	0 00 18
	182	0 00 24
	180	0 00 30

1	2	3		
	181	0	01	67
	189/1	0	00	40
	190/1	0	00	72
	92	0	01	05
	91	0	01	20
	89/1	0	00	76
	88/1	0	00	80
	201/1	0	00	37
	165/1	0	03	02
	218/1	0	63	77
	185	0	01	85
	79	0	01	95
	कित्ता .. 51	2	17	36
चतरेरी	362/1	0	05	12
	364/1	0	04	59
	363/1	0	35	16
	324/1	0	00	42
	325/1	0	00	48
	326/1	0	00	70
	343/1	0	01	96
	365/1	0	00	30
	366/1	0	01	26
	369/1	0	02	20
	316/1	0	05	53
	कित्ता .. 11	0	57	72

शिमला-171002, 27 फरवरी, 1988

संख्या: लो0नि0 (ख) (7) (1) 66/87.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत: गांव धतोली, तहसील बल्दवाडा, जिला मण्डी में परनाल से दसूईयां तक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने, और इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के नीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला: मण्डी तहसील : बल्दवाडा

मौजा	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टयर में		
1	2	3		
धतोली	1237/3	0	03	79
	कुल :	0	0	79

शिमला-2, 27 फरवरी, 1988

सं0 लो0नि0 (ख) 7(1) 68/87.— यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत: मौजा बिहार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में चिलाधार-बिहार सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : कुल्लू तहसील : बन्जार

रकबा

मौजा	खसरा नं0	बीघा	बिस्वा	बिस्वासी
1	2	3	4	5
बिहार	872/1	2	7	13
	872/4	1	7	16
	877/1	1	8	8
	870 नालम	0	12	0
	871/1	0	7	17
	864/2	0	4	1
	794/1	0	9	0
	870/1	0	2	16
	449/1	0	9	19
	449/2	0	2	0
	795/1	0	5	8
	822/1	0	9	9
	441/1	0	8	9
	873/1	0	4	7
	878/1	0	2	4
	458/1	0	9	4
	460/1	0	2	8
	462/1	0	6	7
	464/1	0	0	8
	465/1	0	0	14
	457/1	0	0	8
	454/1/1	0	9	4
	880/1	0	8	16
	448/1	0	12	11
	450/1	1	3	9
	2225/1	0	8	0
कित्ता	26	12	17	16

शिमला-171002, 1 मार्च, 1988

संख्या: लो0नि0 (ख) 7 (1) 81/87.— यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को

सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल रजवाडी, तहसील सदर, जिला मण्डी में काटल-नाटल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षत्र में जसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रेमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी हितवद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचदा के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति द्वायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : सदर

मुहाल	खसरा नं0	क्षेत्र वीघा	विस्वा	विस्वासी
1	2	3	4	5
रजवाड़ी	195/1	0	3	18
	305/1	0	3	4
	305/2	0	6	7
	188/1	0	1	14
	188/2	0	3	2
	191/1	0	0	12
	194	0	4	10
	189/1	0	0	16
	189/2	0	3	4
	306/1	0	0	8
	56/1	0	2	4
	58	0	0	15
	60	0	2	16
	79/1	0	13	19
	196/1	0	10	11
	59/1	0	16	4
	61/1	0	9	8
	62/1	0	0	2
	78/1	0	15	19
	80/1	0	3	16
	186/1	0	1	18
	186/2	0	0	12
	484/1	0	15	2
	486/1	0	5	7
	486/2	1	19	18
किता : 25		11	6	14

शिमला-171002, 1 मार्च, 1988

संख्या लो0नि0(ख)7(1) 71/87.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत: गांव च्यावनी कमठानुआं, तहसील कसौली, जिला सोलन में बनलगी-चाण्डी-भाट की हटटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते है की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके, कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी हितवद्व व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, सोलन के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : सोलन तहसील · कसौली

मौजा	खसरा नं0	क्षेत्र वीघा	विस्वा
1	2	3	4
च्यावनी-कमठानुआं	186/1	0	3
	187/1	0	3
	188/1	0	6
	191/1	0	8
	198/1	कम-अज-बिस्वा	
किता : 5		1	0

शिमला-2; 1 मार्च, 1988

सं0 लो0 नि0 डब्ल्यू(बी0 एंड आर0)(बी)7(1) 20/87.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है, कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत: गांव पपलोथर, सुनेत और गुरालधार, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में चिन्तपुरनी-तलवाड़ा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इस से सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी हितबद्व व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होन के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर, तहसील व जिला हमीरपुर के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विनिर्देश

जिला : कांगड़ा तहसील : देहरा

गांव	खसरा नं0	रकबा हैक्टेयरों में		
1	2	3		
पपलोथर	1219	0	25	94
	1238	0	13	31
	1197	0	02	38
	1199	0	17	08
	1208	0	07	10
	1209	0	02	25
कोटला सुनेत	908	0	02	92
	891	0	23	38
	893	0	08	23
	906	0	01	86
	956	0	40	83
	1008	0	04	90
	1013	0	03	82
	1032	0	07	27
	1034	0	02	44
	1037	0	09	19
	1012	0	01	16
	1015	0	04	63
	1045	0	12	27
	1044	0	06	04
	1041	0	00	74
	1011	0	06	74
कोटला गुरालधार	14	0	00	27
	39	0	09	32
	45	0	07	42
	460	0	17	02
	461	0	03	95
	462	0	20	34
	463	0	25	10
	464	0	33	30
	465	0	20	14
	467	0	13	68
	9	0	05	01
	17	0	04	00
	40	0	00	38
	466	0	01	48
	459	0	03	60
	12	0	03	60
	13	0	03	36
	15	0	04	62
	16	0	03	49
जोड़ किस्सा:	41	3	84	51

शिमला-171002, 15 मार्च, 1988

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1) 120/87.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: गांव सुनाहाणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलाससुर (हिमाचल प्रदेश) में कोटलू-सुनाहाणी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकत ह की जानकारी के लिए भूमि अजन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपवन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके के किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी हितवद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : बिलासपुर तहसील : घुमारवीं

मौजा	खसरा संख्या		क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
1	2		3	4
सुनाहाणी	817	सालम	23	0
	1113	,,	1	2
	11114	,,	1	11
	1115	,,	14	15
	1117	,,	2	4
	1622/1120	,,	0	7
	1623/1120	,,	2	0
	1624/1120	,,	2	0
	1626/1120	,,	2	0
	1627/1120	,,	2	0
	1733/1120	,,	3	3
	1734/1120	,,	0	8
	1735/1120	,,	73	3
	1123	,,	9	6
	1127	,,	0	3
	1128	,,	0	0
	1129	,,	9	0
	1131	,,	7	13
	1133	,,	1	8
	1137	,,	1	10
	1142	,,	3	11
	1143	,,	1	3
	1144	,,	0	8
	1145	,,	1	18
	1214	,,	1	0
	1215	,,	2	14
	1216	,,	5	19
	1219	,,	3	0
	1220	,,	3	8
	1221	,,	0	5
	1222	,,	4	8
	1228	,,	4	17
	1230	,,	2	1
	1231	,,	0	7
	1232	,,	0	11
	1233	,,	0	9
	1235	,,	5	14
	1236	,,	1	6
	1237	,,	2	11
	1238	,,	9	0
	1244	,,	1	4
	1246	,,	4	1
	1247	,,	0	1
	1248	,,	4	17
	1417	,,	3	1
	1420/1	,,	1	6
	1440	,,	8	12
	1441	,,	1	8

1	2		3	4
	1442	सालम	3	17
	1443	,,	6	12
	1446	,,	0	6
	1456	,,	5	15
	1459	,,	3	17
	1649/1460	,,	2	11
	1650/1460	,,	16	4
	1462	,,	1	4
	1463	,,	1	6
	1474	,,	6	11
	1475	,,	9	5
	1486	,,	8	6
	1490	,,	1	3
	1491	,,	2	3
	1492	,,	5	1
	1493	,,	1	17
	1494	,,	2	3
	1496	,,	1	10
	1497	,,	1	11
	1498	,,	3	18
	1651/1489	,,	18	16
	1502	,,	9	13
	1702/1503	,,	8	0
	किस्ता .. 71		359	8

शुद्धि पत्र

शिमला–171002, 15 मार्च, 1988

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1) 11/86.––इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-1-1987 में मौजा दबास ह0 ब0 (11) के स्थान पर मौजा धरवास पढ़ा जाए।

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 19 मार्च, 1988

संख्या: लो0 नि0 (ख)7(1)29/86.––यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत: मौजा वाहली, तहसील ननखरी, जिला शिमला में पुनम-सुई मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अवएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके के किसी भूमि में प्रवेश करन और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपक्षित या अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देत हैं।

कोई भी हितवद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई प्रापत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होन के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अजन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : ननखरी

मौजा 1	खसरा नं0 2	क्षेत्र बीघा 3	क्षेत्र बिस्वा 4
वाहली	40	3	8
	43	3	8
	46	0	18
	186/171/1	1	18
	6	4	12
	36	3	4
	37	0	9
	38	1	16
	47	1	1
	191/24	1	8
	174/16	1	2
	13	3	3
	14	0	4
	189/24	2	18
	191/24	1	8
	39	4	9
	7	6	5
	20	2	10
	21	1	3
	42	9	1
	10	3	4
	15	2	19
	17	2	9
	222/1	5	11
	4	7	3
	5	0	4
	198/1	7	12
	25	4	1
	48	2	19
	51	4	19
	54	1	1
	56	2	3
	3	1	9
	8	2	12
	11	0	14
	12	0	13
	18	2	2
	45	2	14
	234/26	1	11
	2	8	9
	9	4	4
	33	5	12
	35	1	17
	49	5	8
	235/26	4	13
	50	0	3
	185/171	1	16
	173/16	2	18
	29	1	6
	27	1	18
	28	7	11
	30	4	0
	31	4	6
	1	0	0
	19	1	13
	22	0	0
	23	2	10
	41	0	0

1	2	3	4
	55	1	18
	52	0	17
	34	0	0
	किता : 61	171	3

शिमला–2, 22 मार्च, 1988

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1) 110/87. यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत: गांव मुराड़ी और जन्दरोग, तहसील भटियात, जिला चम्बा में चुवाड़ी-रायपुर पातेका सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे, उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, चम्बा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : चम्बा तहसील : भटियात

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	बिस्वा
1	2	3	4
मुराड़ी	975/848/1	0	6
	किता .. 1	0	6
जन्दरोग	1183/829/1	0	8
	किता .. 1	0	8

शिमला-171002, 25 मार्च, 1988

संख्या लो0नि0 (ख) 7 (1) 11/86.––यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामत: गांव धरवास, तहसील पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में धरवास-सुराल भटोरी सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उप-मण्डलीय अधिकारी) (नागरिक) पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि का अर्जन के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता (उप मण्डलीय अधिकारी) (नागरिक) पांगी, जिला चम्बा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : चम्बा तहसील : पांगी

गांव	खसरा संख्या	बीघा	बिस्वा
1	2	3	4
धरवास	18/8	0	2
	19/1	1	0
	34/1	0	2
	37/1	1	1
	48/1	0	15
	48/1/1	0	2
	49/1	0	7
	50/1	0	7
	76/1	0	2
	77/1	0	5
	78	0	7
	105/1	0	2
	106/1	0	19
	114/1	0	10
	119/1	0	7
	124/1	0	4
	125	0	7
	126/1	0	17
	129/1	0	2
	382/1	0	2
	387/1	0	7
	388/1	0	16
	किता .. 22	9	3

शिमला-2, 25 मार्च, 1988

संख्या लो0नि0 (ख) 7 (1) 108/87.––यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत: गांव कोटला पंजोला, नोहरा और नोहरा पत्ति, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर में नारग-ओच्छघाट सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र मेंजैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भमि का अर्जन करना अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी हितवद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होन के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, सोलन के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : सिरमौर तहसील : पच्छाद

गांव/मौजा	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	विस्वा
1	2	3	4
कोटला पंजोला (पत्ती कालाघाट) ।	12/1	0	5
	77/13|1	1	8
	14/1	0	1
	15/2	0	14
	16/1	1	6
	89/17|1	0	6
	18/1	0	1
	19/1	0	14
	20/1	0	2
	22/1	0	1
	23	0	2
	24	0	7
	25/2	0	6
	26/1	0	1
	27/1	3	2
	72/42|1	0	9
	40/1	0	4
किस्सा ..	17	9	9
नोहरा (पत्ती संजेत)	43/1	1	11
	60/1	0	3
	62/2	3	13
	63/1	0	7
	197/1	0	3
	203/198/1	0	11
किस्सा ..	6	6	8
नोहरा (पत्ती अडयोग)	303/1	0	4
	304	0	4
	305	0	18
	306	0	13
	307	0	8
	308	0	6
	309	0	2
	310	0	12
	290/1	1	5
	369/1	1	7
	103/1	1	10
किस्सा ..	11	6	9

शिमला-2, 30 मार्च, 1988

संख्या लो0नि0(ख) 7(1) 103/87.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः मुहाल टैप्पर, तहसील सदर, जिला मण्डी में आऊट टकोली पराशर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी मे निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला: मण्डी तहसील: सदर

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0	विस्वां0
1	2	3	4	5
टैप्पर	411/2/2	0	8	15
किस्सा :	1	0	8	15

शिमला-2, 18 अप्रैल, 1988

सं0 लो0नि0(ख) 7(1) 106/87.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव टिकरी और लड़ोट गुम्मा, तहसील चड़गांव, जिला शिमला में टिकरी-लड़ोट सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (I), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला: शिमला तहसील: चड़गांव

मौजा/गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0
1	2	3	4
टिकरी	1183	1	18
	1185	1	12
	1187	1	15
	1176	5	11
	1179	4	9
	1184	2	15
	1189	0	19
	1722/1190	1	5
	1723/1190	1	5
	1186	4	13
	90	2	19
	1188	3	3
	1181	29	9

1		2	3	4
		1182	2	18
		1180	1	19
		1178	5	15
		1129	0	17
		1130	1	0
		1177	2	8
		1200	0	0
		399	0	0
		395	0	5
		92	5	9
		1146	0	16
		1128	1	11
		1145	0	18
		1127	0	17
		1155	3	11
		1147	1	16
		91	1	2
		1148	1	8
		1149	1	10
	Kitta ..	32	68	13
नारोट				
		270	0	14
		271	4	4
		261	1	4
		262	8	18
		268	3	10
		269	1	5
		278	2	16
		265	0	7
		264	1	1
		274	3	8
		272	2	5
		273	3	11
		275/1	0	0
		439	0	0
		263	0	19
		267	3	10
		266	0	10
		398	2	7
		542/275/1	0	19
	Kitta ..	19	41	8
गुम्मा		270	1	15
		271	1	1
		272	0	12
		785/548	0	14
		580	1	15
		581	2	10
		586	1	11
		522	3	19
		524	1	15
		516	4	9
		517	1	19
		582	2	6
		584	2	15
		585	2	10
		573	1	12
		643/548	1	9
		611/548	0	14
		610/548	0	11
		547	0	18
		662/548	1	7
		645/548	1	12
		541	1	3
		542	1	14
		543	0	17
		514	1	17
		515	0	11
		513	2	19
		583	1	4
		575	1	7
		537	4	18
		536	4	14
		512	0	17
		602/548	0	10
		822/691/578	0	13
		823/691/578	0	14
		523	2	13

1		2	3	4
		667/548	4	10
		676/548	1	8
		572	1	3
		574	4	8
		577	3	3
		549	4	8
		663/548	2	14
		837/548	6	19
		773/503	0	14
		571	1	3
		824/548	2	5
		774/503	2	0
		740/550	1	17
		576	3	12
		557	1	3
		504	1	10
		544	1	4
		545	2	15
		618/578	2	6
		579	0	15
		539	1	13
		540	3	9
		644/548	0	14
		742/548	4	14
		768/548	1	14
		497	6	14
		510	6	0
		511	2	3
		741/550	1	19
		548	0	0
		578	0	0
		588	0	0
	किता ..	68	143	2

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 14 मार्च, 1988

संख्या 6-70/83.–परि0 —यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग का सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत: गांव मौहाल मोंई, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में चिन्तपुर्णी बस स्टैंड निर्माण हेतु भूमि अर्जन करनी अपेक्षित है। अतएव: एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करना अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इस से सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में

भू-अर्जन समाहर्ता (उप-मण्डल) अधिकारी सिविल देहरा जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है:—

विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : देहरा

गांव	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयरों में		
1	2	3	4	5
मोहाल मोई	540/2	0	02	14
	543/2	0	07	69
	544/2	0	02	31
	545/2	0	00	27
	548/1	0	00	82
	571/1	0	04	21
	570/1	0	00	10
	572/1	0	16	43
	573/2/1	0	06	16
	575/1	0	07	79
	573/1/2	0	00	28
	576/2	0	30	99
	577/2	0	07	30
	577/3	0	00	30
	581/1	0	00	30
किते 15		0	87	09

(22 कनाल 15 मरले)

आदेश द्वारा,
एस0 एस0 सिद्धू,
आयुक्त एवं सचिव।

HIMACHAL PRADESH SIXTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Simla-171004, *the* 11*th April*, 1988

No. 1/5.88-VS.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh dated the 7th April, -1988 is published for general information: —

"मैं, वाइस एडमिरल रुस्तम खुसरो शापूर्जी गान्धी परम-विशिष्ट सेवा पदक एवं वीर-चक्र विजेता, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश षष्ठ विधान सभा के ग्यारहवें अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान करता हूं।

रुस्तम खुसरो शापूर्जी गान्धी,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

हिमाचल प्रदेश षष्ठ विधान सभा

शिमला-4, 11 अप्रैल, 1988

संख्या 1-5/88-वि0 स0.—राज्यपाल महोदय, का निम्नलिखित आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 1988 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

"मैं, वाइस एडमिरल रुस्तम खुसरो शापूर्जी गान्धी परम-विशिष्ट सेवा पदक एवं वीर-चक्र विजेता, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश षष्ठ विधान सभा के ग्यारहवें अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान करता हूं।

रुस्तम खुसरो शापूर्जी गांधी,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

कार्यालय उपायुक्त जिला किन्नौर
कल्पा

कार्यालय आदेश

कल्पा, 2 मार्च, 1988

संख्या कनर-158/61-7-169-74.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधि-नियम, 1968 की धारा 10 (2) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 (बी) में विहित शक्तियों के अधीन मैं, प्रेम कुमार, उपायुक्त, जिला किन्नौर, ग्राम पंचायत आसरंग के पंच श्री चन्द्र बीर का त्याग पत्र इस आदेश के जारी होने के दिनांक से स्वीकृत करता हूं।

कल्पा, 2 मार्च 1988

संख्या कनर-158/61-7-175-80.—हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 (2) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 (बी) में विहित शक्तियों के अधीन, मैं, प्रम,कुमार, उपायुक्त, जिला किन्नौर, ग्राम पंचायत रुपी के पंच श्री सोहन लाल नगी का त्याग पत्र इस आदेश के जारी होने के दिनांक से स्वीकृत करता हूं।

कल्पा, 6 अप्रैल, 1988

संख्या कनर-158/88.—हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 (2) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 (बी) में विहित शक्तियों के अधीन, मैं, प्रेम कुमार, उपायुक्त, जिला किन्नौर, ग्राम पंचायत रामनो के पंच श्री प्रेम प्रकाश नेगी का त्याग पत्र इस आदेश के जारी होने के दिनांक से स्वीकृत करता हूं।

प्रेम कुमार,
उपायुक्त जिला किन्नौर,
कल्पा।

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी

कार्यालय आदेश

मण्डी, 15 मार्च, 1988

विषय :—कारण बताओ नोटिस।

संख्या पंच-मण्डी-ए (8) 24/83.—क्योंकि श्री लवण कुमार ठाकुर व लंगण कुमार ठाकुर सुपुत्र श्री नरपत राम, निवासी मुख्य बाजार पण्डोह को मध्यम आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत आप द्वारा

नींव तक किए गए निर्माण के प्रमाण-पत्र के आधार मु0 5,500-00 की प्रथम किस्त की अदायगी की गई है और पुष्टी करने पर यह पाया गया कि श्री लवण कुमार ठाकुर द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है तथा आप द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

इस से पहले कि कोई कार्यवाही आप के विरुद्ध लाई जाए आप को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि आप ने किन-किन परिस्थितियों में झूठा प्रमाण-पत्र जारी कर के सरकार को धोखा दिया है ।

आप का उत्तर एक पक्ष के भीतर-भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप को इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है और आप के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही व्यवहार में लाई जाएगी ।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी मण्डल, मण्डी ।

कार्यालय उपायुक्त, जिला शिमला

अधिसूचना

शिमला-1, 3 मार्च, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एस0एम0एल0(3)-20/85-11-379-87.— मैं, जे0 पी0 नेगी, उपायुक्त, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायती नियम, 1971 के नियम 19(बी) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला शिमला के निम्नलिखित पदाधिकारी के त्याग-पत्र को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की सिफारिश के आधार पर तुरन्त स्वीकृत करता हूं तथा पंचायत में इसके स्थान को रिक्त घोषित करता हूं :—

क्र0सं0	नाम पदाधिकारी	विवरण
1.	श्री हरि चन्द पच, ग्राम पंचायत वड़ाच, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।	ग्राम पंचायत वड़ाच, वार्ड नं0 4

जे0 पी0 नेगी,
उपायुक्त।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Please *read* area in Khasra No. 979/1 0.00.64 in place of 0.00.04 and in khasra No. 1075, 0.13.33 in place of 0.03.33 of village Karahpara which appeared in Himachal Pradesh Rajpatra dated 16-1-1988 at pages 44-45.

Palampur, the 4th April, 1988

Sd/-
Superintending Engineer,
5th Circle, H.P. P.W.D., Palampur.

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनेन्शियल कमिशनर तथा कमिशनर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-3, *the* 28*th March,* 1988

No. 14-27/67-E&T-VI-7450/7562.—Whereas it has been reported that the declaration forms 'C' (as mentioned below) referred to in sub-section (4) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956) hereinafter referred to as the said act are declared obsolete/invalid on account of the reasons stated against therein. Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-rule 10 of Rule 6 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970 the declaration forms bearing numbers as mentioned below shall be deemed to be obsolete/invalid *w.e.f.* the date noted against them:—

Sr. No.	No. of declaration forms 'C' which declared obsolete/ invalid	Name & address of the dealer to whom declaration forms 'C' issued	Name & designation of Assessing Authority who issued form 'C'	Date from which declaration forms 'C' declared obsolete/invalid
1	2	3	4	5
1.	Q 022876 to Q 022900.	M/s Shiva Trading Co., Chamba, Distt. Chamba	Assessing Authority, Chamba.	23-3-1988 (lost)

CST No. 0021 60.

HEM CHAND,
Excise and Taxation Commissioner.

TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 6*th January,* 1988

No. TD(B)8-2/80-Vol. II.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend the Rules for the Award of Scholarships to the deserving students and Research Scholars for doing Research in the Tribal Areas, which were published in the Himachal Pradesh Rajpatra dated 23-4-83 *vide* this Department Notification of even number dated the 15th February, 1983 as under:—

1. *Short Title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Rules for the Award of Scholarships to the Deserving Students and Research Scholars for doing Research in the Tribal Areas (First Amendment), 1988.

(*ii*) These shall come into force with immediate effect.

2. *Amendment of Rule* 3 *Details of Scholarships.*—The word 'and' appearing between the words 'University' and 'Himachal Pradesh' in third line, the sign ',' should be substituted and that the words 'and Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture & Forestry' be inserted between the words 'Vidyalaya' and 'for' appearing in the fourth line.

3. *Amendment of Rule* 7. *Condition of award.*—(*i*) In clause (*e*), against the word 'of' between the words 'progress' and 'conduct' the word 'or' shall be substituted.

(*ii*) In clause (*f*), after the word 'period' in the second line, the word 'of' shall be inserted. Thereafter, the following words shall be added between the words 'Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya' and 'as the case may be' namely:—

'or Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture & Forestry'.

4. *Amendment of Rule*-8 —The sign (.) appearing after the word 'Universities' shall be deleted.

5. *Amendment of Rule* 9. *Audit and Accounts.*—In Clause-II of Rule-9, the following sentence shall be added in the end of the existing provision :

'The next grant shall be released only after the utilisation certicate(s) relating to the previous grant(s) has been received by the sanctioning authority'.

A. N. VIDYARTHI,
Financial Commissioner-cum-*Secretary.*

भाग 4—स्थानीय स्वायत शासनः म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Sh. O. P. Sharma District Judge, Solan and Sirmaur Districts, on Circuit at Nalagarh, Himachal Pradesh

H. M. Petition No. 6-S/3 of 87

Smt. Shakuntla Devi *alias* Shakuntla daughter of Shri Kaila, wife of Pohlo Ram, resident of village Kathala (Tansog-Barog), Pargana Rampur, Tehsil Nalagarh at present residing at village Luna, Pargana Rampur, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh .. *Petitioner.*

Versus

Shri Pohlo Ram son of Shri Labhu, resident of village Kathala (Tansog-Barog), Pargana Rampur, Sub-Tehsil Ramshehar, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh .. *Respondent.*

Petition for dissolution of marriage by a decree of divorce under Section 13 of Hindu Marriage Act, 1955

To

Shri Pohlo Ram son of Shri Labhu, resident of village Kathala (Tansog-Barog), Pargana Rampur, Sub-Tehsil Ramshehar, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this Court that the respondent named above is evading the service of summons and cannot be served through normal course of service. Hence this notice under Section 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued against the above respondent to appear in this Court on or before 3-6-1988 at 10 A. M. at camp, Nalagarh, personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which an *ex parte* proceedings will be taken against him.

Given under my hand and seal of the Court this 6th day of April, 1988.

Seal.

O. P. SHARMA,
District Judge, Solan and Sirmaur Districts,
on Circuit at Nalagarh.

In the Court of Shri O. P. Sharma, District Judge, Solan and Sirmaur Districts, on Circuit at Nalagarh, Himachal Pradesh

C. Appeal No. 51-S/13 of 86

Shri Ram Kishan son of Shri Zulfi Ram *alias* Zulphia, resident of village Mahuwa, Pargana and tehsil Nalagarh District Solan, Himachal Pradesh .. *Appellant Defendant.*

Versus

Shri Shiv Ram *alias* Shiv Saran son of Tikku Ram *alias* Tikku, resident of village Mahuwa, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh and 6 others .. *Respondents/Plaintiffs.*

To

Sh. Surjeet Singh son of not known, resident of village/Ward No. 7, House in Suit Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of this Court that the respondent named above is evading the service of summons and cannot be served through normal course of service. Hence this notice under Section 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued against the above named respondent to appear in this Court on or before 2-6-88 at 10. A. M. at camp Nalagarh personally or through an authorised agent or pleader to defend the case failing which *ex parte* proceedings will be taken against him.

Given under my hand and the seal of the Court today this 6th day of April, 1988.

Seal.

O. P. SHARMA,
District Judge, Solan and Sirmaur, Districts,
on Circuit at Nalagarh.

In the Court of Sh. Janeshwar Goel, Additional District Judge, Solan and Sirmaur Districts at Nahan

Case No 5-N/5 of 1987

1. Smt. Dwarka Devi wife of late Sh. Shamsher Singh, resident Bagoria at present residing at village Bhuira. Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
2. Master Sanjeev Kumar minor son of late Sh. Shamsher Singh through his natural guardian mother, the petitioner No. 1 .. *Petitioner.*

Versus

General Public.

APPLICATION FOR SUCCESSION CERTIFICATE

To

The General Public.

Whereas in the above noted case the petitioner has filed an application in this Court for the grant of Succession Certificate being LRs. of deceased Shamsher Singh son of Sh. Badri Parshad who died at Village Kot Kalon, District Sirmaur, on 18-2-1984.

Hence this proclamation is hereby issud to the General Public and the kith and kins of the deceased to file objections, if any to the grant of such Succession Certificate in this Court on or before 3-5-1988 at 19 A.M. at Nahan personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte.*

Given under my hand and the seal of this court today this 12th April, 1988.

Seal.

JANESHWAR GOEL,
Additional District Judge,
Nahan.

In the Court of Sh. Janeshwar Goel, Additional District Judge Solan and Sirmaur districts at Nahan

Case No. 1-N/5 of 88

Shri Keshar Singh son of Sh. Mangal Singh, resident of Badripur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh .. *Petitioner.*

Versus

1. General Public, 2. Sh. Ram Ashra son of Sh. Mangal Singh, resident of village Jawala Pur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh, 3. Shri Ram Dass son of Sh. Mangal Singh, resident of village Badripur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh, 4. Sh. Dayala Ram son of Sh. Mangal Singh, resident of Ajiwala, P.O. Jamniwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, 5. Sh Devinder Singh, 6. Shri Suchan Singh both sons of Sh. Mangal Singh, residents of village Badripur in Paonta Sahib, District Sirmaur, 7. Smt. Karmo wife of Sh. Gopal Singh, resident of village Amargarh Puruwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh, 8. Smt. Munni Devi wife of Sh. Munshi Ram, resident of village Sataun, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh .. *Respondents.*

Petition for obtaining letters of administration with a copy of will annexed thereto under Section 278 of Indian Succession Act.

To

The General Public.

Whereas in the above noted case the petitioner has filed an application in this Court for obtaining letters of Administration with a copy of will annexed thereto under Section 278 of Indian Succession Act.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public and the kith and kins men and other interested persons to file objection if any to the grant of such Succession Certificate in this Court on or before 19-5-1988 at 10 A.M. at Nahan personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte.*

Given under my hand and the seal of this Court today this 16th April, 1988.

Seal.

JANESHWAR GOEL,
Additional District Judge,
Nahan.

In the Court of Sh. Indar Ram, Senior Sub-Judge, Chamba, Himachal Pradesh

Civil Suit No 15/87

Pending for 17-5-1988

Ravi Kumar s/o Chikni, wd/o Dharam Paul, r/o Mohalla Hatnala, Chamba Town, etc. *Plaintiff.*

Versus

Satya Paul s/o Baldev, r/o Mohalla Hatnala, Chamba Town, Tehsil and District Chamba, HP. etc. .. *Defendant.*

To

Smt. Himali d/o Prehlad w/o Satya Parshad, r/o Salooni, Sub-Tehsil Salooni, District Chamba, Himachal Pradesh.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this Court that the above named defendant is evading the service of the summons and cannot be served in the normal course of the service. Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued against her to appear in this Court on 17-5-1988 at 10 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which *ex parte* proceedings will be taken against her.

Given under my hand and seal of the Court today this 4th day of April, 1988.

Seal.

INDAR RAM,
Senior Sub-Judge, Chamba,
District Chamba.

In the Court of Sh. K. C. Negi, Senior Sub-Judge, Hamirpur, H.P.

Succession Act Petition No 2 of 1988

Date of Institution 21-12-1987.

Smt. Brahmi Devi widow of Sh. Munshi Ram, r/o village Kakriana, Tappa Mehlta, P.O. Didwin, Tikar, Tehsil & District Hamirpur .. *Petitioner.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Petition U/S 372 of Indian Succession Act for grant of Succession Certificate

To

The General Public.

Whereas the above noted petitioner has moved an application under the Indian Succession Act praying therein that Succession Certificate in respect of the arrear of pension (assets/debts) *w.e.f.* 1-5-1975 to 16-7-82 amounting to Rs. 6328.00 and has prayed to make her entitled for the monthly pension of Shri Munshi Ram who died on 16-7-82, may be issued in her favour.

Therefore this proclamation is hereby issued to the General Public and kith and kins of the deceased to file their objection if any, before this Court on or before 12-5-88 at 10 A. M. either personally or through authorised agent, failing which Succession Certificate as sought to be issued shall be granted *ex parte* in favour of the petitioner.

Given under my hand and the seal of the Court this 1st day of April, 1988.

Seal.

K. C. NEGI,
Senior Sub-Judge,
Hamirpur, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri J. N. Barowalia, Senior Sub-Judge, Kangra at Dharamshala

Succession Application No. 2/88

Date of Hearing 24-5-1988

1. Ganesh Dutt son of Dhannu *alias* Dhanni Ram, resident of Saliyah, Mauza Kasba, Tehsil Dehra, District Kangra, 2. Giano Devi daughter of Dhannu *alias* Dhanni Ram and wife of Karam Chand, r/o Seul, P.O Seul, Tehsil Dehra, District Kangra, 3. Maya Devi daughter of Dhannu *alias* Dhanni Ram & wife of Bhag Singh, r/o Paplothar, P.O. Niar, Tehsil Dehra, District Kangra.
(Applicants 2 & 3 through Special Power of Attorney applicant No. 1) .. *Applicants.*

Versus

The General Public .. *Repondent*

To

The General Public.

Whereas in the above noted case the above named applicants have filed an application in this Court under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of Succession Certificate in respect of assets of Late Chinti wd/o of Dhannu *alias* Dhanni Ram, r/o Tika Saliyah, Mauza Kasba, Tehsil Dehra, District Kangra who died in 1985 at Tika Saliyah.

Hence this proclamation is hereby issued to the above named respondant of the illaqua and the kith and kins of the deceased to file objection if any, to the grant of such Succession Certificate in this Court on 24-5-1988 at 10 A.M. personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the Court on this Ist day of April, 1988.

Seal.

J. N. BAROWALIA,
Senior Sub-Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the Court of Sh. J. N. Barowalia, Senior Sub-Judge, Kangra at Dharamshala

Guardian & Wards Case No. 2/88

Date of Hearing 30-5-1988

Phinu Ram son of Nathu Ram, r/o Tika Lahru, Mauza Bari, P. O. Bangta, Tehsil and District Kangra, Himachal Pradesh ..Applicant.

Versus

Public in General ..Respondent.

To

Public in General.

Whereas in the above noted case petitioner has filed an application under section 10 of the Guardian and Wards Act, 1980 in respect of the appointment of a guardian of the person and property of the minor Ramesh, Rajesh sons and Kumari Usha daughter of Satya Devi.

Hence, this proclamation is hereby issued against the general public of the illaqua, kith and kins of the minor to file objection, if any, to the grant of said Guardianship, in this Court on or before 30-5-1988 at 10 A.M. personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the Court on this 11th day of April, 1988.

Seal.

J. N. BAROWALIA,
Senior Sub-Judge, Kangra.

In the Court of Sh. J. N. Barowalia, Senior Sub-Judge, Kangra at Dharamshala

Case No 11 of 1988.

Date of Hearing 23-5-1988

1. Smt. Sahab Devi, widow, (2) Sh. Sarup Chand, son, (3) Sh. Bansi Lal, son, (4) Veena Devi daughter, (5) Rina Devi minor daughter through her mother Smt. Sahab Devi, petitioner No. 1, widow of Sh. Assa Ram, residents of Nagrota Suriyan, Tehsil Dehra, District Kangra (Himachal Pradesh) ..*Petitioners.*

Versus

The General Public ..*Respondent.*

To

The General Public.

Whereas in the above noted case the above named applicants have filed an application in this Court under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of Succession Certificate in respect of assets of Late Sh Assa Ram son of Beli, resident of village and P. O. Nagrota Suriyan, Tehsil Dehra, District Kangra who died on 19-2-1986

Hence this proclamation is hereby issued to the above named respondant of the illaqua and the kith and kins of the deceased to file objection if any, to the grant of such Succession Certificate in this Court on 23-5-1988 at 10 A.M. personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the Court on this Ist day of April, 1988.

Seal.

J. N. BAROWALIA,
Senior Sub-Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the Court of Sh. J. N. Barowalia, Senior Sub-Judge, Kangra at Dharamshala

Succession Application No. 12 of 1988

Date of Hearing 24-5-1988

1. Smt. Batto Devi widow, (2) Harnam Singh son of Sh. Khehndi Ram son of Sohnu, residents of village Ghar Jarot, P. O. Ghar Jarot, Tehsil Jawal, District Kangra, (3). Smt Shanti Devi w/o Gian Chand, resident of Jharer, P. O. Jharer, Tehsil Jawal, District Kangra (daughter), (4.) Smt. Satya Devi w/o Som Datt, r/o V. & P. O. Jawali, Tehsil Jwali, District Kangra (daughter) .. *Petitioners.*

Versus

The General Public .. *Respondent.*

To

The General Public

Whereas in the above noted case the above named applicants have filed an application in this Court under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of Succession Certificate in respect of assets of Late Sh. Khehndi Ram s/o Sohnu, r/o V. Ghar Jarot, P.O. Ghar Jarot, Tehsil Jawal, District Kangra who died on 10-10-1983 at village Ghar Jarot.

Hence this proclamation is hereby issued to the above named respondant of the illaqua and the kith and kins of the deceased to file objection if any, to the grant of such Succession Certificate in this Court on 24-5-1988 at 10 A.M. personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the Court on this Ist day of April, 1988.

Seal.

J. N. BAROWALIA,
Senior Sub-Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the Court of Sh J. N. Barowalia, Senior Sub-Judge, Kangra at Dharamshala

Succession Application No. 1 of 1988

Date of Hearing 24-5-1988

Jagat Ram son of Lohnu *alias* Lehnu, resident of Tikka Saliyah, Mauza Kasba Tehsil Dehra, District Kangra .. *Applicant.*

Versus

The General Public .. *Respondent.*

To

The General Public.

Whereas in the above noted case the above named applicant has filed an application in this Court under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of Succession Certificate in respect of assets of Late Sh. Rania son of Lohnu *alias* Lehnu, r/o Tika Saliyah, Mauza Kasba, Tehsil Dehra, District Kangra, who diec on 11-1-1987 at Tika Saliyah.

Hence this proclamation is hereby issued to the above named respondant of the illaqua and the kith and kins of the deceased to file objection if any, to the grant of such Succession Certificate in this Court on or before 24-5-1988 at 10 A M. personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte.*

Given under my hand and the seal of the Court on this 1st day of April, 1988.

Seal.

J. N, BAROWALIA,
Senior Sub-Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the Court of Shri T. N. Vaidya, Senior Sub-Judge, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

Case No. 317/1 of 1985

Pending for 9-5-1988

Shri Liaq Ram son of Shri Kundan, resident of village Moza Bagi, Pargana Nali, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh .. *Plaintiff.*

Versus

Shri Vidya Bhushan Jain son of Shri Hajras Rai son of Shri Jagan Nath, resident of Mauza Bagi, Pargana Nali, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh *Defendant.*

SUIT FOR DECLARATION AND PERMANENT INJUCTION

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this Court that the above named defendant cannot be served in the ordinary course of service as he is evading the service of summons issued against him.

Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued against him to appear in this Court on or before 19-5-1988 at 10 A.M. at Solan personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which he will be proceeded *ex parte.*

Given under my hand and seal of the Court this 12th day of April, 1988.

Seal.

T. N. VAIDA,
Senior Sub-Judge,
Solan, District Solan, Himachal Pradesh.

In the Court of Sh. B. D. Sharma Senior Sub-Judge, Nahan, District Sirmaur Camp at Paonta Sahib, H. P.

In Case No. 8/6/88/85.

State Bank of India, Paonta Sahib through Branch Manager, Paonta ..*Applicant.*

Versus

Mohan Lal Verma s/o Shri Hira Singh, Government Contractor, Bangran Road, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh ..*Respondent.*

Application under Order 45, Rule 1 read with Section 114 C. P. C. and 152, 151 C. P. C.

To

Shri Mohan Lal Verma son of Shri Hira Singh, Government Contractor, Bangran Road, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of this Court that above named defendent/ respondent cannot be served through an ordinary course of service. Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C. P. C. is hereby issued to the above named respondent to appear before this Court on 27-5-88 at 10 A.M. at Camp Court at Paonta Sahib personally or through an authorised agent or pleader to defend his case, failing which an *ex parte* prodeeding will be taken against him.

Given under my hand and seal of this Court today 29th March, 1988.

B. D. SHARMA,
Senior Sub Judge, Nahan,
Camp at Paonta Sahib, H. P.

In the Court of Sh. J. L. Chauhan, Sub-Judge Ist Class, Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh

In re:—Civil suit No. 4/1 of 1987

State Bank of India a body corporate constituted under the State Bank of India, Act No. 23 of 1955 having one of its Branch Office at Jubbal, Tehsil Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh .. *Plaintiff.*

Versus

S/Shri Pawan Kumar Prop. Pawan Kumar and Bros, Shop at Charkhamba Road, Jubbal, Tehsil Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh, 2. Salig Ram Peshta c/o Modern Tailors Jubbal, Tehsil Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh .. *Defendants.*

Suit for recovery of Rs. 13081.80

Application under Order 5, Rule 20, C.P.C

To

1.Shri Pawan Kumar Prop. Pawan Kumar and Bros. Shop at Charkhamba Road, Jubbal, Tehsil Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of this Court that the above named defendant No. 1 Shri Pawan Kumar, can not be served through ordinary course of the summons. As process issued to him received back un-served, because he is avoiding the service of the summons. Hence this proclamation, under Order 5, Rule 20, C.P.C. is issued against the defendant No. 1 Pawan Kumar to appear before this Court on 5-5-1988 at 10.00 A.M. personally, or any authorised pleader to plead his case, failing which he will be proceeded against *ex parte.*

Given under my hand and seal of the Court this 4th day of April, 1968

Seal. J. L. CHAUHAN,
Sub-Judge Ist Class, Rohru.

In the Court of Sh. K. L. Sharma, Sub-Judge Ist Class, Una, District Una

Civil Suit No. 140/87

Ramji *vs.* Ram Kishan etc.

Vs.

Ujjagar son of Bhavaiti Devi *alias* Bhaivti d/o Amian, Caste Bahti, r/o village Khad, Tehsil and District Una, Himachal Pradesh.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of this Court that the above named defendant can not be served in the ordinary course of service as he is evading the service of summons issued against him.

Hence, this proclamation u/o 5, Rule 20, is hereby issued against him to appear in this Court on 20-5-88 at 10 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which he will be proceeded *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the Court, today the 12th April 1988

Seal. K. L. SHARMA,
Sub-Judge Ist Class, Una.

In the Court of Sh. K.L. Sharma, Sub-Judge 1st Class, Court No. 1 Una, District Una

Civil Suit No. 133/87

Nankoo *vs.* Kishan Chand etc.

Versus

1. Smt. Bimla Devi d/o Bholoo Ram, resident of village Chauki Maniar, 2. Jagan Nath, 3. Shiv Nath sons of Atma Ram, resident of village Bari, Tehsil Bangana, District Una, H. P.

Whereas in the obove noted case it has been proved to the satisfaction of this Court that the above named defendants could not served in the ordinary course of service as they are evading the service of summons issued against them.

Hence this proclamation u/o 5. Rule 20. C.P.C is hereby issued against them to appear in this Court on 19-5-88 at 10 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which they would be proceeded *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the Court today the 12th April, 1988.

Seal. K. L. SHARMA,
Sub-Judge Ist Class.
Una, District Una, H. P.

व अदालत जनाब तरुण श्रीधर, आई0ए0एस0, उप-मण्डलीय समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा

मुकदमा नं0 80/1987

तारीख पेशी 4-4-1988

1. श्रीमती दिलो पत्नी चन्दो, 2. सत्या पत्नी चुलु, 3. शिमलो पत्नी प्रेमा, 4. गिलो पत्नी धनी राम, 5. मचली पत्नी सधु, निवासी मलवाना, मौजा बरंज, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

श्रीमती ठाकुर पत्नी दुनी चन्द, निवासी हटली, मौजा हटली, तहसील भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

प्रार्थना पत्र बराए अपील दिनांक 18-10-86 बावत इन्तकाल नं0 53 वाक्या महाल मलवाना, तहसील व जिला कांगड़ा ।

बमुकदमा उपरोक्त में मसूलअलहम को इस अदालत से कई बार समन जारी हो चुके हैं और उनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो रही है । अतः मसूलअलहम को इस इश्तहार गजट द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 16-5-1988 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करे वमूरत दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

यह इश्तहार आज दिनांक 5-4-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । तरुण श्रीधर,
उप-मण्डल समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बअदालत जनाब तरुण श्रीधर, आई0 ए0 एस0, उप-मण्डलीय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा ।

मुकद्दमा नं0 83/87 तारीख पेशी 29-3-88

रत्न चन्द बनाम गोगू राम इत्यादि ।

समन बनाम:— 1. प्रशोतम पुत्र वीरबल, 2. ओंकार सिंह पुत्र रत्न चन्द, 3. सुरेश कुमार पुत्र रत्न चन्द, 4. मरूप कुमार पुत्र रत्न चन्द, 5. जुदो राम पुत्र सरन दास, 6. प्रभात सिंह पुत्र सरन दास, 7. शेर सिंह पुत्र सरन दास, 8. ओम राज पुत्र सरन दास, 9. मदन लाल पुत्र सरन दास, समस्त वासी थोल झरेड़, मौजा नगटी, तहसील व जिला कांगड़ा ।

प्रार्थना-पत्र बराए अपील दिनांक 5-8-1987 बावत भूमि तकसीम, वाक्या महाल थोल झरेड़ ।

बमुकद्दमा उपरोक्त में मसूल अलहम को इस अदालत से कई बार समन जारी हो चुके हैं और उनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो रही है अतः मसूलअहलम को इस इश्तहार गजट द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 16-5-1988 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकदमा करें । वमूरत दिगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

यह इश्तहार आज दिनांक 6-4-1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । तरुण श्रीधर,
उप-मण्डल समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बअदालत श्री जे0 सी0 चौहान, उप-मण्डलाधिकारी, प्र0 रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

सालिक राम पुत्र मोलकू निवासी कनैं परगना सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला । ..फीकअब्बल

बनाम

साधारण जनता ..फीक दोयम ।

नोटिस बनाम आम जनता ।

इश्तहार बाबत पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पन्जीकरण हेतू प्रार्थना पत्र ।

उपरोक्त विषय में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री लालिग राम पुत्र मोलकू, नि0 कनैं, रामपुर ने अपने दामाद राम निवास पुत्र हरलाल के ग्राम पंचायत रिकार्ड के बारे इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है। आवेदक का ब्यान है कि उसके ----------का जन्म---------- को---------- दामाद का पंजीकरण न तो कहीं पंचायत रिकार्ड में है और न ही नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज है।

अतः साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम के पंजीकरण करने के बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-5-88 को समय 10 बजे सुबह मेरे कार्यालय स्थान रामपुर में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा इसे हस्ब जाब्ता पंजीकृत किया जायेगा।

आज दिनांक 14-4-1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जे0 सी0 चौहान,
उप-मण्डाधिकारी,
रामपुर।

बअदालत श्री जे0 सी0 चौहान उप-मण्डलाधिकारी, प्र0 रामपुर, बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

शिव राम पुत्र लाभी राम, निवासी सुन्डा, तहसील रामपुर, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश। ..फीक अब्बल।

साधारण जनता बनाम ..फीक दोयम।

नोटिस बनाम आम जनता

इश्तहार बाबत पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री शिव राम पुत्र लाभी राम, निवासी सुन्डा, रामपुर अपने पुत्र अमर सिंह, ग्राम पंचायत रिकार्ड के आधारे इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है। आवेदन का ब्यान है कि उसके पुत्र अमर सिंह का जन्म 30-8-1987 को नि. सुन्डा, रामपुर में हुआ था, परन्तु इसका पंजीकरण न तो कहीं पंचायत रिकार्ड में है और न ही नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज है।

अतः साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम के पंजीकरण करने के बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-5-1988 को समय 10 बजे सुबह मेरे कार्यालय स्थान रामपुर में हाजिर आकर पेश करे अन्यथा इसे हस्ब जाब्ता पंजीकृत किया जायेगा।

आज दिनांक 14-4-1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जे0 सी0 चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी,
रामपुर बुशैहर।

ब कार्यालय श्री विश्वा नाथ गुप्ता, सब-रजिस्ट्रार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

राजेश कुमार बनाम आम जनता।

उनवान :—प्रार्थना-पत्र बराबे पंजीकृत किये जाने वसीयत नामा श्री गंगा राम पुत्र श्री कहना राम, गांव वार्मी टिहरा, तप्पा महलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
जेर धारा 40।41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908।

नोटिस बनाम आम जनता

उपर्युक्त उनवान वाला के बारे में श्री राजेश कुमार पुत्र उपर्युक्त मुतवफी ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता श्री गंगा-राम उपर्युक्त मुतवफी ने वसीयत नामा तहरीर दिनांक 2-10-87 को तहरीर करवाया था उसे पंजीकृत किया जावे। इसलिये इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस वसीयत के पंजीकृत होने में कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27-5-1988 को प्रातः 10 बजे पेश करें अन्यथा वसीयत नामा पंजीकृत कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 11-4-1988 को मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। विश्वा नाथ गुप्ता,
सब-रजिस्ट्रार, भोरंज।

ब कार्यालय श्री विश्वा नाथ गुप्ता, सब रजिस्ट्रार भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

चमन लाल बनाम आम जनता

उनवान :—प्रार्थना-पत्र बराये पंजीकृत किये जाने वसीयत नामा मुतवफी श्री चरंजी लाल, वासी ढनवान, तपा बमसरा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

जेर धारा 40।41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908

नोटिस बनाम आम जनता।

उपर्युक्त उनवान वाला को बारे में हमारे कार्यालय श्री चमनलाल पुत्र उपर्युक्त मुतवफी ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता श्री चरंजीलाल ने वसीयत नामा दिनांक 13-1-88 को तहरीर करवाया था उसे पंजीकृत किया जावे। इसलिये इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस वसीयत को पंजीकृत होने में कोई एतराज हो तो वह हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन दिनांक 27-5-1988 को प्रातः 10 बजे हाजिर आकर पेश करें अन्यथा वसीयत नामा हजा पंजीकृत कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 11-4-88 को मेरे दस्तखत व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर। विश्वा नाथ गुप्ता,
सब-रजिस्ट्रार, भोरंज।

ब अदालत जनाब प्रताप सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा

मिस्ल नं0	नाम टीका	किस्म मुकद्दमा	तारीख पेशी
10।87-88/एन0टी0एफ0	हाड़ा	तकसीम भूमि	23-5-88

तिलकू उर्फ लितकराज बनाम भाग सिंह वगैरा

दरख्वास्त बराये तकसीम अराजी खाता नं0 37, वाका टीका हाड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार बनाम :—श्री भाग सिंह, बाबू राम पुत्रान कांगडू, साकनान हाड़ा, मौजा फतेहपुर, छाल नामालूम..प्रतिवादीगण।

ब मुकद्दमा उनवान वाला में उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार बजरिया समन तलब किया गया मगर उनके सही पते न मिलने के कारण प्रतिवादीगण की तामील नहीं हो सकी जिससे जाहिर होता है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील सही ढंग से नहीं हो सकती। अतः उन्हें इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 23-5-1988 को सुबह 10-00 बजे असालतन वा वकालतन हाजर

आकर हमारी अदालत में पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा उनके खिलाफ यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व उसके बाद कोई उजर काबले समायत न होगा ।

यह इश्तहार आज दिनांक 13-4-88 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ ।

मोहर ।

प्रताप सिंह,
द्वितीय श्रेणी सहायक समाहर्ता,
फतेहपुर ।

बअदालत जनाब नायब-तहसीलदार व अस्थायी सब - रजिस्ट्रार
हमीरपुर

मुकदमा नं0 6 आफ 25-3-88

बलवीर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह पुत्र श्री खजाना राम, वासी भारी, तप्पा मतिमोरियां, तहसील व जिला हमीरपुर ..मायल ।

बनाम

आम जनता ममूलअलह ।

दरख्वास्त जेर धारा 40/41 बराये तस्दीक करने जबानी वसीयत नामा मुतवफी श्री धर्म सिंह पुत्र श्री खजाना राम वासी टीका भारी, मौजा मतिमोरियां, तहसील व जिला हमीरपुर वसीयत नामा तहरीर शुदा 26-6-1987 ।

नोटिस बनाम आम जनता ।

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त वसीयत नामा मुतवफी श्री धर्म सिंह को रजिस्टर्ड करने में कोई उजर व एतराज हो तो अदालत हजा में दिनांक 26-5-88 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर आवे । वसूरत दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 11-4-88 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
नायब-तहसीलदार,
सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर ।

बअदालत जनाब सब-रजिस्ट्रार व तहसीलदार, कांगड़ा

मुकद्दमा नम्बर 7/87 आफ 1988

श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री अमर सिंह वासी टून्डू ..प्रार्थी ।

बनाम

सर्व जनता ..प्रत्यार्थी ।

दरख्वास्त बावत रजिस्टर करवाने वसीयत नामा जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1903 हेतु ।

मुकदमा मुन्दर्जा उनवान बाला में हुए खास व आम को सूचित किया जाता है कि श्री बलदेव सिंह उपरोक्त ने मिति 18-5-87 को इस कार्यालय में दरख्वास्त दी है । कि श्री अमर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, वासी टून्ड ने एक वसीयत नामा वहक प्रार्थी के नाम लिखवाया है कि उसको सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति उस के मरणों उपरान्त प्रार्थी के नाम की जावे । जिस की तारीख पेशी 16-5-88 इस अदालत में रखी गई है । यदि इस सम्बन्ध में किसी को किसी किस्म का उजर या एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख की असालतन या वकालतन हाजिर अदालत 10 बज आ कर पेश कर सकता है । इस के बाद कोई उजर काबिल समायत न होगा । अन्यथा गैर-हाजरी में वसीयत पंजीकृत कर दी जायेगी ।

आज तारीख 12-4-88 मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
सब-रजिस्ट्रार व तहसीलदार,
कांगड़ा ।

बअदालत जनाब सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार कांगड़ा

मुकदमा नम्बर आफ 1988

बनाम

गोपाल दास पुत्र मुवा राम वासी कवाड़ी

सर्व जनता ..प्रत्यार्थी ।

दरख्वास्त बावत रजिस्ट्री करवाने वसीयत नामा जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1903 हेतु ।

नाईब शरफ कांगड़ा ।

मुकदमा मुन्दर्जा उनवान बाला में हर खास व आम को बजरिया मुशतरी मुनादी करके सूचित करे । कि गोपाल दास उपरोक्त ने मिति 18-3-88 को इस कार्यलय में दरख्वास्त दी है कि श्रीमती पूरना देवी विधवा लाभावासी ललेहमर ने एक वसीयत नामा वहक प्रार्थी के नाम लिखवाया है कि उसकी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति उसके मरणों उपरान्त प्रार्थी के नाम की जावे । जिस की तारीख पेशी 5-5-88 को इस अदालत में रखी गई । यदि इस सम्बन्ध में किसी को किसी किस्म का उजर या एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत 10 बजे आ कर पेश कर सकता है । इसके बाद कोई उजर काबिल समायत न होगा । अन्यथा गैर-हाजरी में वसीयत पंजीकृत कर दी जायेगी । खर्चा मूतरी मुनादी मुब्लिग दो रु0 के रसीदी टिकट लफ है ।

आज वतारीख 2-4-88 मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
सब-रजिस्ट्रार,
कम-तहसीलदार, कांगड़ा ।

बअदालत जनाब सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार, कांगड़ा

मुकदमा नम्बर 1-टी-88 आफ 1988

श्री प्रितम चन्द आदि पुत्र जुलफी राम वासी गुलेहड, मौजा उपरली कोठी .. प्रार्थी ।

बनाम

सर्व जनता ... प्रत्यार्थी ।

दरख्वास्त बावत रजिस्टर करवाने वसीयतनामा जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1903 हेतु ।

मुकदमा मुन्दर्जा उनवान बाला में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि श्री प्रितम चन्द आदि उपरोक्त ने मिति 17-3-88 को इस कार्यालय में दरख्वास्त दी है कि श्री जुलफी राम पुत्र फतुरिया वासी गुलेहड ने एक वसीयत नामा वहक प्रार्थी के नाम की जावे । जिसकी तारीख पेशी 5-5-1988 को इस अदालत में रखी गई है यदि इस सम्बन्ध में किसी को किसी किस्म का उजर या एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत 10 बजे आकर पेश कर सकता है । इसके बाद कोई उजर

काबिल समायत न होगा । अन्यथा गैर-हाजरी में वसीयत पंजीकृत कर दी जायेगी ।

आज बतारीख 2-4-88 मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार,
कांगड़ा ।

बअदेश तहसीलदार/सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी कांगड़ा

केस नं0 289/87-88

देश राज सुपुत्र मंगल सिंह पुत्र लुदर राम, निवासी टिका मौजा इच्छी खास, तहसील कांगड़ा ।

बनाम

1. श्रीमती प्रतापो देवी पुत्री परमा पुत्री गोविन्द, अमर नाथ हरि कृष्ण पुत्रान माखू उपनाम मखनू, वासी महाल इच्छी खास, मौजा इच्छी, तहसील कांगड़ा ।

प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 61 खतौनी नं0 139 खसरा नं0 1091 वाक्या महाल इच्छी खास मौजा इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा ।

नोटिस :

उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन द्वारा सूचित किया गया कि वह हाजर अदालत आवें मगर समन की तामील साधारण तरीका से न हो रही है । अतः बजरिया इश्तहार उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 16-8-88 प्रातः 10 बजे हमारी अदालत तहसील कांगड़ा में असालतन या वकालतन हाजर आकर मुकदमा की पैरवी करें । अन्यथा इनके विरुद्ध यकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जावेगी ।

यह इश्तहार हमारी अदालत व हस्ताक्षर से आज दिनांक 7-4-88 को जारी हुआ ।

मोहर ।

नाता राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता,
प्रथम श्रेणी, कांगड़ा ।

न्यायालय श्री भगवान दास वालिया, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी
नूरपुर

मुकदमा नम्बर 25/तह0 87 7/एनटी 87

विषय:—दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता नम्बर 12, खतौनी नम्बर 20, 21 खसरा नम्बर 80, 85, 89, 90, 62, 81, 83, 84, 91 किता 9 रकबा 0-21-13 है0 मी0 वाक्या टीका लल्याड़ मौजा मोहलदा, तहसील नूरपूर ।

तुलसी राम पुत्र देवी दित्ता उप-नाम ज्ञान चन्द सकना मोहलदा, तहसील नूरपुर ..सायल

बनाम

रत्न चन्द वगैरा ..मसूलेअलहुम ।

नोटिस बनाम :

1. बुद्धि सिंह, 2. प्रेम चन्द, 3. रमेश चन्द सुपुत्र राम दयाल, निवासी मोहलदा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, 4. श्रीमती रानो देवी जोजा कर्मो, 5. छुनो जोजा करनैल सिंह सकना जोलना, तहसील चुआड़ी, जिला चम्बा 6, मिलखी राम पुत्र ज्ञान चन्द सकना जौनटा, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा, नोट:— मसूलय नम्बर 4 निवासी गूरयाल, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा ।

उपरोक्त मुकदमा वाला में उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि बार-बार नोटिस किये जाने पर भी उपरोक्त व्यक्ति की तामील होना नहीं पाई जाती है । इसलिये बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है। उपरोक्त मुकदमा तकसीम में अगर कोई उजर कार्यवाही करना चाहता हो तो वे इस सम्बन्ध में दिनांक 11-5-88 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर होकर उजर कर सकता है । अन्यथा हस्ब जाब्ता कार्यवाही आमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 7-4-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी किया गया ।

मोहर ।

भगवान दास,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
नूरपुर ।

बअदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा इन्तकाल नम्बर 243 बराम्त मकफूद-उल-खबरी हीरा मालिक पुत्र महजा पुत्र राजू अराजी, मुन्दरजा खेवट खतौनी नम्बर 65 मिन/78 मिन, महाल धरवास, तहसील पांगी, जिला चम्बा ।

नोटिस

हर खास व आम को सूचित किया जाता है, महाल कुठाह की जमाबन्दी साल 1986-87 की तस्दीक आखिर के वक्त यह बात सामने आई है कि श्री हीरा मालिक जो कभी महाल व डाकघर धरवास का निवासी था पिछले कई दशकों से इस गांव को छोड़ कर चला गया था तथा तहसील चुराह जिला चम्बा के गांव गुगयास सेई की ओर बसा था । लकिन बाद में यह सुना गया था कि वह सम्भवतः स्वर्ग सिधार गया था उसके पुत्रों आदि के बारे में किसी भी गांव वासी को पता नहीं है तथा न ही उपरोक्त श्री हीरा मालिक कभी अराजी जेर बहस में काब्ज रहा । इसलिये इस मालिक का नाम अराजी उपरोक्त से खारिज करने के बारा उपर दर्शाया गया इन्तकाल दर्ज हो कर अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है ।

अतः एतद्द्वारा श्री हीरा मालिक पूर्वोक्त के पुत्रों या पौत्रों जो भी यदि हो तथा अन्य सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि श्री हीरा मालिक वास्तव में ही स्वर्ग सिधार गया हो तो वे उसकी वरास्त हासल करने के लिये या यदि वह जीवित ही हो तो उस दशा में इस इन्तकाल के विरुद्ध लिखित रूप में अपना पक्ष तिथि 15 जुलाई, 1988 तक किसी भी कार्य वाले दिन अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख तहसील दफतर किलाड़ में असालतन या वकालतन पेश करें । विपरीत परिस्थिति में विचाराधीन इन्तकाल का फैसला नियमानुसार कर दिया जाएगा ।

आज तिथि 4-4-1988 को हमारे दस्तखतों तेथा मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार,
तहसील पांगी, जिला चम्बा ।

अदालती ईश्तहार

बअदालत श्री राम सरण शर्मा सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मुकदमा नं0 3/88

वेद प्रकाश पुत्र इन्द्र सिंह साकिन सनियो, तहसील राजगढ़ ..वादी ।

बनाम

(1) अनन्त राम पुत्र शेर सिंह (2) श्रीमती त्रिलोचन कौर पुत्री इश्वर सिंह साकिनान कोठीमन्तरी, साईड सोलन (हिमाचल प्रदेश)। ..प्रतिवादीगण ।

दावा सेहत इन्द्राज खाता खतौनी नं0 37/163 ख0 नं0 943/903 तादादी 7-0 बीघा वाक्या मौजा मवियों, तहसील राजगढ़ हिमाचल प्रदेश ।

ज्ञापन :

मुकदमा उपरोक्त उनवान बाला में, उक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गये मगर उनकी तामील जाब्ता नहीं हो रही है । अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उनकी तामील जाब्ता साधारण तरीके से होनी कठिन है । अतः बजरिया इश्तहार प्रतिवादी नं0 1 को सूचित किया जाता है कि वह मिति 5-5-1988 को सुबह 10 बजे मुकाम राजगढ़ हमारी अदालत में बराये पैरवी मुकदमा असालतन या वकालतन हाजिर आवें अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी ।

यह इश्तहार आज दिनांक 2-4-88 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

राम सरण शर्मा,
सहायक समाहर्ता,
प्रथम श्रेणी, तहसीलदार राजगढ़।

मोहर ।

बअदालत श्री सोहन लाल सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सरकाघाट जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)

बमुकदमा :

कृष्ण चन्द सुपुत्र पलसराम, निवासी बनेहरडी, इलाका कमलाह, तहसील सरकाघाट ।

बनाम

मन्शा सुपुत्र मेघू निवासी बनेहरडी, ई0 कमलाह, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

दरख्वास्त सेहत गिरदावरी

उपरोक्त मुकदमा में फरीकदोयम को समन जारी किए गए रिपोर्ट बादा से पाया गया कि फरीक दोयम मनशा फौत हो चुका है । इसके वारसान भी सही तस्दीक नहीं हो रहे हैं । अतः बजरिया इश्तहार हजा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त फरीक दोयम के कोई वारसान हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 13-5-1988 को हाजर अदालत आवें । अन्यथा कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 12-4-1988 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

सोहन लाल,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट ।

मोहर ।

स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

नोटिस

श्री लेख राम सुपुत्र श्री नारायणु गांव सोरिया, डा0 मांगू, तहसील अर्की, जिला सोलन, मशीनमैन, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सर्व प्रथम 13-4-87, 16-4-87 तथा 18-4-87 के प्रतिपूरक तथा एक दिन दिनांक 14-4-87 के वैकल्पिक अवकाश पर गया तथा उपरोक्त अवकाश समाप्त होने के उपरान्त उन्होंने कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी । इस कार्यालय के तार दिनांक 26-5-87 तथा पंजीकृत पत्र संख्या हिशिबो (1) नि0 फा0-153/87-6552, दिनांक 22-6-87 और अनुस्मारक सम संख्या 7590 दिनांक 27 जुलाई, 1987 के अनुसार उन्हें कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिये गये थे । पंजीकृत पत्र दिनांक 27-7-87 इस कथन के साथ वापिस प्राप्त हुआ कि "प्राप्त कर्त्ता ने पत्र को लेने से इन्कार किया ।" दिनांक 18-4-87 के उपरान्त कर्मचारी ने न ही अवकाश म वृद्धि हतु आवदन किया और न ही कार्यालय में उपस्थिति दी है । इन कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह बोर्ड में और नौकरी करने का इच्छुक नहीं है तथा वह अपनी इच्छा से ड्यूटी पर से जानबूझ कर अनुपस्थित रह रहा है । अनुपस्थिति की समस्त अवधि अनाधिकृत समझी जाएगी और इस अवधि के वेतन की हानि तथा सेवा विच्छेद समझा जाएगा ।

अब कर्मचारी को सूचित करने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन करने के सिवाय और कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्योंकि कर्मचारी ने उपरोक्त पंजीकृत पत्रों को प्राप्त करने से इन्कार किया है ।

अतः श्री लेख राम को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि वह इस नोटिस के प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होता तो नियमानुसार यकतरफा कार्यवाही की जाएगी तथा कर्मचारी का इसमें कोई भी अधिकार नहीं होगा ।

मोहर ।

सी0 आर0 बी0 ललित,
सचिव ।

इश्तहार अखबारी जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0पी0सी0

बअदालत भू-सुधार अधिकारी एवं तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त ऊना, तहसील व जिला ऊना

राम प्रकाश पुत्र लछमण सुपुत्र निहाला, निवासी बदोली, तहसील व जिला ऊना ..सायल ।

बेली राम सुपुत्र निहाल चन्द शिवराम, भगतराम, सालीग्राम पुत्र मुन्शी राम उर्फ कांशी राम, निवासी बदोली, तहसील व जिला ऊना ..फरीक दोयम ।

दरख्वास्त दरुस्ती इन्द्राज बाबत खाता नम्बर 115 मिन खतौनी नम्बर 232 खसरा नम्बर 932 मिन रकबा तादादी 5-0 कनाल वाक्या मौजा बदोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त दरख्वास्त दरुस्ती इन्द्राज अदालत हजा में मेरे समायत है उक्त दरख्वास्त में फरीक दोयम बेली राम पुत्र निहाल चन्द, शिवराम, भगतराम, सालीग्राम पुत्र मुन्शी राम उर्फ कांशी को उक्त पता पर समन भेजे गये परन्तु बिला तामील वापिस हुए सायल ने व्यक्त किया कि फरीक दोयम बाहर रहते हैं । अतः फरीक दोयम बेलीराम पुत्र निहाल चन्द व शिव राम भगत राम-सालीग्राम पुत्र मुन्शी राम उर्फ कांशी राम को बजरिया अखबार इश्तहारी सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकदमा की पैरवी हेतु हमार कार्यालय मकाम ऊना में असालतन या वकालतन दिनांक 4-5-88 को समय 10 बजे हाजर आवे, गैर-हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 19-4-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत मे जारी हुए ।

अमोलक राम,
भू-सुधार अधिकारी,
एवं तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त ऊना ।

मोहर ।

इश्तहार अखबारी जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0पी0सी0

ब अदालत भू-सुधार अधिकारी एवं तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त ऊना, तहसील व जिला ऊना

राम प्रकाश पुत्र लछमण पुत्र निहाला, निवासी बदोली, तहसील व जिला ऊना ..सायल ।

बेली राम पुत्र निहाल चन्द, शिवराम, भगत राम, सालीग्राम पुत्र मुन्शी उर्फ कांशी, निवासी बदोली, तहसील व जिला ऊना ..फरीक दोयम ।

दरख्वास्त दरुस्ती इन्द्राज बाबत खाता नम्बर 115 मिन खतौनी नम्बर 232 खसरा नम्बरान 146 मिन-749, 932 मिन, 938 किस्सा 4 रकबा तादादी 7-1 कनाल वाक्या मौजा बदोली, तहसील व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त दरख्वास्त दरुस्ती इन्द्राज अदालत हजा में मेरे समायत है उक्त दरख्वास्त में फरीक दोयम बली राम पुत्र निहाल चन्द, शिब राम,

भगत राम, सालीग्राम पुत्र मुन्शी राम उपनाम कांशी राम को उक्त पता पर समन भेजे गये परन्तु बिला तामील वापिस आते रहे सायल व्यानी है कि फरीक दायम बाहर रहते हैं। अतः फरीक दोयम बेलीराम पुत्र निहाल चन्द, शिवराम, भगत राम, सालीग्राम पुत्र मुन्शी राम उपनाम कांशी राम को बजरिया अखबार इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु हमारे कार्यालय मकाम ऊना में असालतन या वकालतन दिनांक 4-5-88 को समय 10 बजे हाजर आवें। गैर-हाजरी की सूरत में कार्यवाही एक तरफाअमल में लाई जायेगी ।

आज दिनांक 19-4-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुए ।

मोहर ।

अमोलक राम भू-सुधार अधिकारी,
एवं तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त, ऊना ।

HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY

(CONDUCT BRANCH)

NOTIFICATION

Shimla-5, *the* 12*th April*, 1988

No. 5-19/88-HPU (Conduct).—Mr. Changar Ram son of Shri Parshottam Lal Regd. No. 71-DA-347 has been allowed to change his name from Changar Ram to Chander Kant. In future his name in the University record will be shown as Chander Kant *Alias* Changar Ram.

Sd/-

Assistant Registrar (Conduct),
H. P. University, Shimla-5.

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

शून्य

अनुपूरक

शून्य

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री हि0प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।